

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

राजस्थान रेजीडेन्सियल ऐज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)
कमरा संख्या 411, अन्वेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर। 0141-2226666

क्रमांक एफ 3(C)III(100) राईस/अका./दहला (अलवर)/2023/ 1176

जयपुर, दिनांक 26.09.2023

आदेश

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा संख्या 132 की अनुपालना में नवनिर्मित देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय दहला (अलवर) को कक्षा 6 से 12 तक 280 छात्रा क्षमता के संचालन हेतु शिक्षा (गुप-1) के आदेश क्रमांक प. 22 (6) शिक्षा-1/2002 दिनांक 30.04.2015 में निर्धारित नॉर्मस एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आवासीय विद्यालयों में स्वीकृत गैर-शैक्षणिक पदों के नॉर्मस आधार पर लेखा शीर्ष 2225-03-196-(05)-[05] (राज्य निधि) मद में निम्नांकित 23 नवीन पद सृजित करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है-

क्र. सं.	पदनाम	पे मैट्रिक्स लेवल	पदों की संख्या	विषय	नियुक्ति का माध्यम
1	प्रधानाचार्य	L-16	1	-	शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
2	व्याख्याता	L-12	6	अनिवार्य हिन्दी, अनिवार्य अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान	
3	वरिष्ठ अध्यापक	L-11	2	सामाजिक विज्ञान, संस्कृत	
4	अध्यापक लेवल-2	L-10	3	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित	
5	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-II	L-11	1	-	
6	पुस्तकालयाध्यक्ष- III	L-10	1	-	
	प्रयोगशाला सहायक	L-8	3	-	
7	प्रयोगशाला सेवक	L-1	3	-	
7	कनिष्ठ लेखाकार	L-10	1	-	
8	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड- II	L-5	1	-	कोष एवं लेखा
9	कनिष्ठ सहायक	L-5	1	-	विभागीय (सान्याअवि)
	योग		23		

- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं चौकीदार के कार्य हेतु रेक्सको से भूतपूर्व सैनिक संविदा पर अथवा गृह रक्षा स्वयं सेवक/नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक की सेवाएँ दिनांक 01.07.2023 से 29.02.2024 तक की अवधि तक लेने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- उक्त आवासीय विद्यालय में बागवानी, खाना बनाना, सफाई कार्य, प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिशियन कार्य निम्नांकित शर्तों के अध्वधीन जॉब बेसिस पर (Out Source) नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए कराने की सहमति प्रदान की जाती है:-
 - उक्त कार्य हेतु किसी भी स्थिति में सीधे रूप में व्यक्तियों की सेवाएँ नहीं ली जावेगी, ना ही व्यक्तियों को एजेन्सी के माध्यम से अनुबंधित किया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Rajesh Verma
Designation: Director
Date: 2023.09.22 17:01:09 IST
Reason: Approval

- (ii) जॉब बेसिस पर कराये जाने वाले कार्य का निर्धारण/विवरण (Scope of work) का स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
 - (iii) व्यय उपलब्ध बजट प्रावधानों की सीमा में ही रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
 - (iv) स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।
 - (v) वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र संख्या 1 दिनांक 30.04.2018 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
3. उक्त आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु अनावर्तक सामग्री यथा फर्नीचर, बर्तन, किचनवेयर, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, खेल सामग्री आदि (संलग्न सूची अनुसार) विद्यालय के संचालन हेतु **तात्कालिक आवश्यकता** को दृष्टिगत रखते हुये वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए क्रय करने की सहमति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 162301982 दिनांक 18.09.2023 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(राजेश वर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 3(C)III(100) राईस/अका./टहला (अलवर)/2023/ 1177-1196 जयपुर, दिनांक- 26.09.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, राज., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामा. न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2)/आयोजना (योजना वित्त)/वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
8. जिला कलक्टर, अलवर।
9. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक, शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
10. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर।
13. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), सामा. न्याय एवं अधि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण योजना), मुख्यावास।
15. वित्तीय सलाहकार/अतिरिक्त निदेशक (योजना), सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
16. एसीपी (उप निदेशक) मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
17. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक), अलवर।
18. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, अलवर।
19. उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर।
20. प्रधानाचार्य, देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय टहला (अलवर)।
21. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Rajesh Verma
Designation: Director
Date: 2023.09.22 17:01:09 IST
Reason: Approved